(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 603—दो/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—01—2017 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 10/अपील/2015—2016.

.....

उमा प्रताप सिंह तनय श्री बाल्मीक सिंह
निवासी देवमऊ तहसील रामपुर बघेलान
जिला सतना म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

बेवा रेनू सिंह पत्नी स्व0 देवेन्द्र कुमार सिंह
निवासी कोटर तहसील रामपुर बाघेलान
जिला सतना म0प्र0

—— अनावेदक

.....

श्री रमेश पाठक, अभिभाषक, आवेदक
श्री पी0 के0 तिवारी, अभिभाषक अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायाल अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23—01—2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि उमा प्रताप सिंह पिता बालमीक निवासी देवमऊ तहसील रामपुर बघेलान द्वारा एक आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर मौजा देवमऊ दलदल स्थित आराजी न0

147, 150, 150/3754, 151, 882/2, 883/2, 885, 886, 887, 888, 889/2, 890/2, 1362, 1407/4/ग, 1411/4/ग, 1418/3, 1447, 1450/2/ग 1450/3768/2ग, 1531/3, 1533/3, 1534/3, 1754 कुल किता 24 एकत्र रकवा 9.118 है0 आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है। जिसका बटवारा पंजी क्रमांक 16 आदेश दिनांक 23.2.16 को किया गया है। लेकिन जो फर्द बटवारा तैयार की गई है। उसमें कब्जे में भिन्नता है, जिससे किया गया बटवारा निरस्त किया। इसी से दुखित होकर आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23.1.17 को धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया इसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा अपनी आराजियातों को अपने पुत्रों के मध्य किसी प्रकार से अपने जीवन काल तक विभाजन न किये जाने तथा गलत रूप से खाता प्रथक कराये जाने के संबंध में जो कार्यवाही तहसीलदार वृत्त छिबौरा के समक्ष राजस्व प्र0 क0 17/अ–74/2014–15 में कराई गई उसमें गैरनिगराकार किसी प्रकार से हितबद्व पक्षकार न होते हुये भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन आदेश के 70 दिन बाद अपील प्रस्तुत की गई जिसमें धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु धारा–5 के आवेदन पत्र में हल्का पटवारी के खसरे का आधार लिये जाने के बावजूद भी प्रमाण स्वरूप खसरा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अपील बिलंब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र में कोई स्पष्ट कारण दर्शित नहीं किया गया तथा अपील विलंब से प्रस्तुत किये जाने पर क्यों क्षम्य योग्य है इस संबंध में भी कोई अभिवचन न किये जाने के बावजूद भी आवेदन पत्र की विषयवस्तु से हटकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधि विरूद्व रूप से धारा–5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया। धारा–5 परिसीमा अधिनियम में बने हुये प्रभावी विधिक बिन्दुओं के विरूद्व होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में भी किसी प्रकार से विचार नहीं किया गया कि गैरनिगराकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थी, जिसके संबंध में उसे सर्व प्रथम अपनी हितबद्वता के संबंध में कोई अभिवचन किये बिना तथा बिना अनुमति के अपील को विलंब होने के बावजूद भी विधि विरूद्व सुनवाई हेतु किया जाकर धारा 5 पर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि बिना अनुमति के अपील पर सुनवाई किये जाने के संबंध में योग्य अधीनस्थ न्यालालय को किसी प्रकार से विधिक अधिकार ही प्राप्त नहीं थे । इसके बावजूद भी धारा 5 को स्वीकार कर प्रकरण गुण–दोष के निराकरण हेतु नियत किर लिया गया है जो विधिक प्रकिया के विपरीत होने से योग्य अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य

है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका के पति की दुर्धटना में मृत्यु होने के कारण वह अपने पिता के घर चली गई थी। इसी बीच चोरी छिपे आवेदक ने तहसील में शासन को पक्षकार बनाकर पति को मिली बटवारे में आराजी निरस्त करा ली गई है। अनावेदक का धारा–5 का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है और प्रकरण गुण दोष के लिये नियत किया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में अंकित किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख एवं दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदिका विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, अपील प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिन्दु के संबंध में किसी प्रकार से विचार नहीं किया जबकि उक्त विधिक आधार अपील की ग्राह्यता के संबंध में ही सुनवाई किया जाना चाहिये।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका की हितबद्वता के संबंध में किसी प्रकार से विचार किये बिना एवं विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण भी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के प्रकरण कमांक 10/अपील/2015–2016 में पारित आदेश दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। तथा आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर